सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2018 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2018/00017

अनवान

1. श्री ख्यालीलाल पिता भेराजी सुथार, निवासी झाड़ोल, तहसील झाड़ोल।

—प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री सुरेशचंद्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, आदेश 01/2018 दिनांक 08.06.2018

* निर्णय *

दिनांक— 05-07-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 08.06.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम के तहत दोषी मानकर 3 माह का सिविल कारावास से दण्ड़ित किये जाकर वार्षिक लगान 0.18पैसे का 50 गुना शास्ति अधिरोपित कर दोषी फरमाया गया, जिसके तहत 29.06.2018 को अपीलान्ट को गिरफ्तार कर कारागृह मे भेज दिया, जो इस वक्त कारागृह झाड़ोल मे बंद है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को तलब किया गया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.06.2018 को अधिनस्थ न्यायालय मे अपनी उपस्थिति दी गई तथा आगामी पेशी जवाब हेतु दिनांक 08.06.2018 को नियत की गई, लेकिन उक्त तिथि को अपीलान्ट अस्वस्थ हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सका तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण मे निर्णय पारित करने की कानूनी भूल की हैं। अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि ग्राम पंचायत झाड़ोल द्वारा दिनांक 05.06.2009 को आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया। तदनुसार पंचायत को दिनांक 14.09.2009 को पट्टा फीस जमा की गई और दिनांक 02.02.2011 को निर्माण की स्वीकृति दी गई, किन्तु अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया गया। मात्र कच्चे पत्थरों की कोट बना रखी है, जिसे हटाया जाना बहुत आसान हैं। अपीलान्ट को दिया गया भू खण्ड़ के पट्टे की भूमि आबादी मे स्थित है तथा चारागाह भूमि की आराजी संख्या 1193 आबादी भूमि से जुड़ा हुआ हैं एवं इसी कारण पटवारी हल्का द्वारा बेबुनियाद तथ्यों का संकलन कर अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय मे

अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत कर दिया, जबकि अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया हैं, बल्कि चारागाह भूमि पर विद्या निकेतन स्कूल द्वारा आधिपत्य कर रखा है तथा इसकि विरूद्ध राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 मे पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को दोष मुक्त किया जावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण मे अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का झाड़ोल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट श्री ख्यालीलाल पिता भेरा सुथार द्वारा सम्वत् 2070 मे व वर्तमान संवत् 2075 मे भी अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त अपीलान्ट के न्यायालय मे उपस्थित होने पर उसे चारागाह भूमि से 3 दिवस मे अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया। सुनवाई तिथि 08.06. 2018 को अपीलान्ट न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही किसी प्रतिनिधि द्वारा अतिक्रमण पुराना होने बाबत् कोई साक्ष्य सबूत पेश किये। इसके अतिरिक्त संबंधित को निर्णय के विरूद्ध अपील हेतु 15 दिवस का समय दिया गया, किन्तु अतिक्रमी द्वारा कोई अपील नहीं की गई। इस उपरान्त अतिक्रमी श्री ख्यालीलाल पिता भेरा सुथार को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके तहत थानाधिकारी झाड़ोल द्वारा अतिक्रमी को गिरफ्तार कर पेश करने पर उसे 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड़ से दण्ड़ित किया गया हैं। अतिक्रमी को पूर्व मे दो बार बेदखल किया जा चुका है, परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा बार–बार अतिक्रमण किया जा रहा हैं। वर्तमान मे भी अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने बाबत् समय दिया जाने के उपरान्त भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया हैं। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 01/2018 प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम झाड़ोल, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 1193 किस्म चारागाह मे 0.0450हे. पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किये गये रेकर्ड मे उपलब्ध बयान गवाह से यह स्पष्ट है कि पूर्व मे भी संवत् 2070 मे अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे पूर्व मे बेदखल किया गया था एवं वर्तमान मे भी अपीलान्ट द्वारा आराजी संख्या 1193 किस्म चारागाह मे 0.0450हे. भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमण करने का

आदि है एवं अतिक्रमण से आम लोगो मे रोष व्याप्त है। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के अधीन दिनांक 05.08.2009 को अपीलान्ट के पक्ष मे जारी आवासीय भूमि के पट्टे की प्रति न्यायालय के समक्ष पेश की है। ग्राम पंचायत मात्र आबादी भूमि का पट्टा जारी करने हेतु ही सक्षम है, न की चारागाह भूमि पर। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास उपलब्ध पट्टे की प्रति मे ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि का पट्टा जारी किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाड़ोल को निर्देश प्रदान किये जाते है कि प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा वर्णित आराजीयात की चारागाह भूमि पर अन्य अतिक्रमण होना भी जाहिर किया है, अतः ऐसे अतिक्रमियों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर